

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 315/2019

1. सुभाषचन्द्र पुत्र प्रेमकुमार जाति कुम्हार निवासी रामपूरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. प्रेमकुमार पुत्र रामजीलाल
2. अमरसिंह पुत्र प्रेमकुमार
3. कलावती पत्नी प्रेमकुमार
4. सुनीता पुत्री प्रेमकुमार पत्नी सुभाष जाति कुम्हार निवासी किशनपुरा तहसील
ऐलनाबाद जिला सिरसा।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि क.वादी सुभाषचन्द्र को चकनं 2 एजी के प0न0 216/347 मु0 10 किलानं 2/2/.127, 9/1/.126 पूर्वी दिशा, ख.प्रतिवादी सं0 2 अमरसिंह को चकनं 2 एजी के प0न0 216/347 मु0 10 किलानं 1/1/.126, 10/.127 पश्चिमी दिशा, ग.प्रतिवादीया सं0 3 कलावती को चकनं 2 एजी के प0न0 216/347 मु0 10 किलानं 1/1/.037, 10/.038 है0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व उपरोक्त अनुसार खाता अलग से कायम कर रकम राज पृथक किये जाने व चकनं 2 एजी के खाता सं0 14 में से प्रतिवादीसं0 1 का हिस्सा कम कर शेष हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का बदस्तुर रखे जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....25/10/19.....को जारी
किया गया।



(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी